रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

(रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय)

फरवरी, 2018 माह के लिए मासिक सारांश

फरवरी, 2018 माह के महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

1. इस माह के दौरान, ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लि. (बीसीपीएल) ने 16,527 मीट्रिक टन पॉलिमर और 3,418 मीट्रिक टन लीक्विड हाइड्रोकार्बन का उत्पादन किया। माह के दौरान, 12,627 मीट्रिक टन पॉलिमर और 3,286 मीट्रिक टन लीक्विड हाइड्रोकार्बन बेचे गए।

2. बीसीपीएल ने असम सरकार द्वारा 3 और 4 फरवरी, 2018 को गुवाहटी में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में भाग लिया। बाद में बीसीपीएल ने निवेशकों के साथ 13 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

3. 28.02.2018 की स्थिति के अनुसार, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) ने अपनी कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत 47,854 व्यक्तियों (दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से 13,843 और अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 34,011) को प्रशिक्षित किया है।

4. सचिव, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने अपने दिनांक 12 फरवरी, 2018 के अ. शा. पत्र में रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग को स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) 2017-18 के कार्यानवयन में इसके प्रदर्शन और श्रेष्ठ 10 मंत्रालयों/विभागों में रैंकिंग के लिए बधाई दी है।

5. संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति ने दिनांक 15 फरवरी, 2018 को हिंदुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड (एचआईएल), नई दिल्ली का निरीक्षण किया।

6. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग की विस्तृत अनुदान मांगों की जांच के लिए संसदीय स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22 फरवरी, 2018 को संसदीय सौंध, नई दिल्ली में हुई।

7. फरवरी, 2018 के माह में, 11 लोक शिकायतें प्रस्तुत की गईं और 22 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 26 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। शेष 07 शिकायतों में से केवल 01 शिकायत की लंबित अवधि 90 दिन से अधिक है।

8. "मिनिमम गर्वनमेंट- मैक्सिमम गर्वनेंस"

(i) विभाग द्वारा ई-ऑफिस के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राजकोष में बचत हुई है।

(ii) हितधारकों की सुगम पहुंच हेतु सभी नीतियां/कार्यक्रम/स्कीमें/अधिनियम/मंजूरी आदेश आदि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हैं।

*****